संख्या-34/2018/997/18-2-2018-19(ल0उ0)/2017

प्रेषक

भुवनेश कुमार
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक: 26 दिसम्बर, 2018

विषयः- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

महोदय,

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के प्रस्तर-7.10.1 के अन्तर्गत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा।

2- 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नवत हैं-

1- योजना -

यह योजना "विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना" के नाम से जानी जायेगी।

2- योजना के घटक :-

क- कौशल वृद्धि प्रशिक्षणः-

2.क.1 योजना के इस घटक में पारम्परिक कारीगरों की कौशल वृद्धि हेतु उन्हें उ0प्र0 कौशल मिशन के आर0पी0एल0 ¼Recognition of Prior Learning½ से जहाँ सम्भव हो सकेगा, जोड़ा जायेगा तथा इससे इतर ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु मास्टर क्राफ्ट्समैन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। इस योजनान्तर्गत आच्छादित पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर कौशल वृद्धि हेतु 06 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क एवं आवासीय होगा। 06 दिवसीय प्रशिक्षण स्थल तहसील अथवा जनपद मुख्यालय पर होगा।

2.क.2 प्रशिक्षण का ट्रेड वार पाठ्यक्रम उद्योग निदेशालय में आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस समिति में योजना के योजना अधिकारी संयोजक सदस्य होंगे, साथ ही उस ट्रेड से जुड़े दस्तकारों/कारीगरों के बाहुल्य वाले किन्ही दो जनपदों के उपायुक्त उद्योग तथा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा नामित उक्त ट्रेड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से जुड़े दस्तकारों/कारीगरों के राज्य स्तरीय संघ के प्रतिनिधि और ऐसे संघ की अनुपलब्धता में उस ट्रेड से जुड़े कोई भी ख्याति प्राप्त संस्था/महानुभाव भी इस समिति के अंग होंगे। यह समिति ट्रेड की वर्तमान स्थिति एवं दूरगामी लक्ष्य को देखते हुए तय अवधि का आधुनिकतम विशेष कोर्स डिजाईन करेंगी।

2.क.3 प्रशिक्षण आई0टी0आई0, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग द्वारा चिन्हित संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा। प्रत्येक बैच में अधिकतम 25 प्रशिक्षार्थी होंगे।

2.क.4 प्रशिक्षण अवधि में श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अर्धकुशल श्रमिक के मजदूरी दर के समान दर पर मानदेय प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ¼DBT½ के माध्यम से उक्त मानदेय प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन रु0 700/- की सीमा तक वास्तविक व्यय का भुगतान किया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षक, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षार्थी के रहने का प्रबंध एवं प्रमाण-पत्र आदि का व्यय प्रशिक्षण संस्थान इसी प्रदत्त धनराशि से करेगा। प्रशिक्षणार्थियों के खान-पान की व्यवस्था हेतु रु0 300/- सीमा तक वास्तविक व्यय प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन की दर से किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा।

ख- टूलकिट वितरणः-

2.ख.1 परम्परागत कारीगरों द्वारा प्रयोग किये जा रहे औजार पुरानी तकनीक पर आधारित है। सेवा/व्यवसाय के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को किया जायेगा। टूलकिट की ट्रेडवार सूची बनाने तथा उसका मूल्य निर्धारित करने और आपूर्ति करने हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 के स्तर से कार्य किया जायेगा। सूची बनाने के कार्य में उपरोक्त बिन्दु-(क) में वर्णित समिति से मन्तव्य प्राप्त किया जायेगा।

2.ख.2 उपरोक्त बिन्दु-2.क एवं 2.ख में ट्रेडों की विविधता एवं गतिमान परिवर्तन के दृष्टिगत पाठ्यक्रम तथा टूलकिट सूची का निर्धारण आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग की संस्तुति से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा इस योजना के दिशा-निर्देश की अनुसूची के रूप में रक्षित की जायेगी। उक्त सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन, परिवर्द्धन या अपमार्जन भी आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग की संस्तुति पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

ग- मार्जिन मनी ऋणः- परम्परागत कारीगरों को अक्सर वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं टूल किट प्राप्त कर चुके लाभार्थियों में से ऋण सुविधा हेतु इच्छुक लाभार्थियों को वर्तमान में संचालित मार्जिन मनी योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अथवा भविष्य में भी केन्द्र/राज्य द्वारा संचालित मार्जिन मनी योजनाओं के द्वारा डवटेलिंग करते हुये ऋण वितरण में लक्ष्य निर्धारित करते हुये तदनुसार वरीयता दी जायेगी। यह लक्ष्य निर्धारण की कार्यवाही आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग के स्तर पर की जायेगी।

3- योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी :-

3.1 आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

3.2 आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन करने की तिथि से की जायेगी।

3.3 आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी आदि व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।

3.4 योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।

3.5 मार्जिन मनी ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

3.6 आवेदक मार्जिन मनी ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य ऐसी वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पूर्व से आच्छादित नहीं होना चाहिए।

3.7 परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है।

3.8 योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.9 हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक परिवार के सदस्यों को उपर्युक्त प्रस्तर-3.8 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।

4- योजनान्तर्गत कौशल वृद्धि प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्न गठित चयन समिति के क्रमांक-1, 4, एवं 5 पर अंकित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा ऋण लाभार्थियों का चयन निम्नानुसार गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगाः-

(1)	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	-अध्यक्ष
(2)	अग्रणी जिला प्रबन्धक	-सदस्य
(3)	दो प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक	-सदस्य
(4)	जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी	-सदस्य
(5)	प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	-सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.1 उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन-पत्र सम्यक परीक्षणोपरान्त उक्तानुसार चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

4.2 चयनित प्रशिक्षणार्थियों में से पर्याप्त संख्या की सूची तैयार कर चयनित संस्था को प्रशिक्षण हेतु इस प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी कि व्यवहारिक रूप से बैच तैयार कर प्रशिक्षण कराया जा सके।

4.3 उपर्युक्त समिति द्वारा ऋण हेतु चयनित लाभार्थियों की सूची संबंधित ऋण योजना की सक्षम समिति को लक्ष्य के आधार पर वरीयता देकर चयन करने हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

4.4 संबंधित चयन समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्र एक सप्ताह के अन्दर संबंधित बैंक शाखा को प्रेषित कर दिये जायेंगे।

4.5 आवेदन-पत्रों पर वित्त पोषण करने वाली बैंक शाखा द्वारा एक माह के भीतर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय ले लिया जायेगा। अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में अस्वीकृति के सुस्पष्ट कारणों को इंगित करते हुए आवेदन पत्र जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को वापस कर दिये जायेंगे।

4.6 ऋण स्वीकृत लाभार्थियों को संगत मार्जिन मनी योजना की शर्तों के अनुसार उद्यमिता प्रशिक्षण कराया जायेगा।

4.7 बैंकों द्वारा स्वीकृति के उपरान्त एक माह के भीतर ऋण की प्रथम किश्त वितरित कर दी जायेगी।

4.8 योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

5- सामान्य निर्देश

5.1 आवेदक द्वारा आवेदन निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के कार्यालय में ऑफ-लाईन जमा किये जायेंगे। आवेदन-पत्र के साथ सभी आवश्यक प्रपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5.2 प्रत्येक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा इस हेतु सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति निकाली जायेगी एवं प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

5.3 लाभार्थियों का चयन यथावश्यक आवेदक की पात्रता, अनुभव, रूचि, व्यवसाय विकास हेतु समझ, प्रस्तुत की गयी परियोजना की सम्भाव्यता एवं आर्थिक उपयोगिता इत्यादि बिन्दुओं के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5.4 विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को "एक जनपद एक उत्पाद" योजना से जोड़ते हुए योजनान्तर्गत सम्बन्धित जनपद हेतु चयनित उत्पाद से जुड़े पारंपरिक कारीगरों तथा दस्तकारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5.5 प्रत्येक प्रशिक्षण का विवरण, फोटोग्राफी आदि रिकार्ड हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देशानुसार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भुवनेश कुमार)
सचिव।

संख्या-34/2018/997(1)/18-2-2018- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0/ समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त परिक्षेत्रीय अधिकारी/उपायुक्त, उद्योग उ0प्र0।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3/2 (गार्ड फाइल)।

आज्ञा से

(रवीश गुप्ता)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।